

प्रेषक,

सुरेश चन्द्रा,  
प्रमुख सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,  
हापुड।

राजस्व अनुभाग-1

लखनऊ दिनांक 18 अक्टूबर, 2016

विषय:- श्री जय पाल सिंह शर्मा ट्रस्ट को 12.50 एकड़ से अधिक भूमि के संक्रमण की अनुमति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-12/सीलिंग लिपिक-अनुमति/2015, दिनांक 03.10.2015 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल द्वारा श्री जय पाल सिंह शर्मा, ट्रस्ट को मेडिकल कालेज, आयुर्वेदिक कालेज तथा नर्सिंग एवं पैरामेडिकल कालेज की स्थापना हेतु ग्राम झहरी व पीपलाबन्दपुर परगना, शासना, तहसील धौलाना जनपद हापुड में उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 231 की उपधारा (1) के साथ पठित उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम-1950 की धारा-154 (2) के अधीन विहित सीमा से अधिक अर्थात् 12.50 एकड़ से अधिक 15.50 एकड़ भूमि क्रय करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

- (1) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों की भूमि का संक्रमण अधिनियम की प्रचलित व्यवस्था के अन्तर्गत किया जायेगा।
- (2) प्रश्नगत भूमि का उपयोग केवल निर्धारित प्रयोजन हेतु किया जायेगा, जिसके लिए संक्रमण की अनुमति दी जा रही है।
- (3) उक्त भूमि धरित करने हेतु किया गया प्रत्येक संक्रमण प्रचलित अधिनियमों, नियमों, विनियमों एवं समय-समय पर जारी किये गये शासनादेशों के अधीन होगा।
- (4) प्रश्नगत भूमि का उपयोग केवल मेडिकल कालेज, आयुर्वेदिक कालेज तथा नर्सिंग एवं पैरामेडिकल कालेज की स्थापना हेतु ही किया जायेगा जिसके लिये भूमि क्रय की जा रही है। निर्धारित प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन हेतु भूमि का उपयोग किये जाने पर शासन द्वारा उपर्युक्त अनुमति निरस्त कर भूमि को राज्य सरकार में निहित कर ली जायेगी।
- (5) भूमि का क्रय अधिकृत ट्रस्ट /संस्था के नाम ही किया जायेगा।
- (6) ट्रस्ट के अध्यक्ष/सचिव अथवा किसी अन्य पदाधिकारी/अधिकृत पदाधिकारी द्वारा भूमि

का कोई भी भाग किसी संस्था/व्यक्ति को किसी भी रूप में शासन की पूर्वानुमति के बिना हस्तान्तरण/विक्रय नहीं किया जायेगा।

- (7) संस्था द्वारा क्रय की गयी भूमि के मध्य स्थित ग्राम पंचायत/स्थानीय प्राधिकरण के प्रबन्धन में निहित भूमि तथा सुरक्षित श्रेणी की भूमि का पुनर्ग्रहण तथा विनिमय का प्रस्ताव अलग से शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त भूमियों के पुनर्ग्रहण एवं विनिमय पर यथासमय गुण-दोष के आधार पर विचार किया जायेगा।
- (8) उपर्युक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में संस्था की 12.50 एकड़ से अधिक भूमि को राज्य सरकार में निहित कर लिया जायेगा तथा ऐसे निहितन के बदले कोई प्रतिकर नहीं दिया जायेगा।
- (9) जिलाधिकारी, हापुड उपर्युक्त शर्तों एवं प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित करायेगें तथा समय-समय पर कृत कार्यवाही से चिकित्सा शिक्षा विभाग तथा राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को भी अवगत करायेगें।

भवदीय,

(सुरेश चन्द्रा)  
प्रमुख सचिव।

संख्या-1342(1)/एक-1-2016-5(48)/2015 तद दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. आयुक्त, मेरठ मॉडल, मेरठ ।
4. अधिकृत प्राधिकारी, श्री जय पाल सिंह शर्मा ट्रस्ट, 40 एडिशनल, सिहानी गेट, गाजियाबाद।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जय प्रकाश सगर)  
विशेष सचिव।